The Research Dialogue

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-2, Issue-3, October-2023
www.theresearchdialogue.com

शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में नई शिक्षा नीति 2020 का योगदान

अमित कुमार शुक्ला
अतिथि प्रवक्ता
एम.एल.के.पी.जी.कॉलेज बलरामपुर

सारांश–

*शिक्षा समाज का दर्पण है और व्यक्ति समाज रूपी व्यवस्था की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है ,जिसका शिक्षित-सचेत व जागरूक होना अति आवश्यक है। व्यक्ति जन्म से ही किसी न किसी रूप में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा रहता है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा व्यवस्था के बदलाव से प्रभावित भी होता रहता है। जैसा कि कहा जाता है कि- "**जैसी शिक्षा वैसा समाज एवं जैसा समाज वैसी ही शिक्षा**", अर्थात शिक्षा व्यवस्था समाज के प्रत्येक के पहलू से प्रभावित होती है, जैसा समाज होगा शिक्षा का विकास भी उसी तरह होगा।*

प्रथम समाज अपने आवश्यकता अनुरूप शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करेगा उसके उपरांत शिक्षा सामाजिक सुधार एवं परिवर्तन का माध्यम बनेगी और एक सभ्य-शिक्षित एवं अनुशासित समाज का निर्माण होगा ।

*भारत आदिकाल से शिक्षा रूपी वृक्ष के विकास हेतु उपयुक्त उर्वरा भूमि का कार्य करता रहा है ।वैदिक काल से प्रचलित गुरुकुल शिक्षा पद्धति इतनी प्रभावित थी कि इसने भारत को संपूर्ण जगत में "विश्व गुरु" का दर्जा दिलाया । समय के अनुकूल सुधार करते हुए भारतीय शिक्षा व्यवस्था पश्चिम के आंखों में खटकने लगी। ब्रिटिश हुकूमत के समय लॉर्ड मैकाले ने 1933 में भारतीय शिक्षा की तारीफ करते हुए कहा कि मैंने भारत में कहीं भी भिखारी और बेरोजगार व्यक्ति नहीं देखा।इसका प्रमुख कारण है वहां की सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था एवं प्रभावी कुटीर उद्योग। यदि ब्रिटिश शासन को लंबे समय तक भारत में राज करना है तो वहां की **शिक्षा व्यवस्था** एवं **कुटीर उद्योग** को नष्ट करना होगा,* और तभी से भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रयोग प्रारंभ हुआ। **1937 में गांधी जी ने वर्धा शिक्षा, जो बुनियादी शिक्षा एवं नई तालीम** के नाम से जाना गया, के माध्यम से मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की वकालत की एवं निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की सिफारिश की ।

*आजादी के पश्चात भारतीय शिक्षा को पुनः सुदृढ़ करने के प्रयास हुए एवं अनेक शिक्षा समिति एवं आयोग बने जिन्होंने शिक्षा के भारतीयकरण एवं मातृभाषा में शिक्षा का बढ़ावा देने का कार्य किया, इसी कार्य को आगे बढ़ने का उत्तरदायित्व नई शिक्षा नीति 2020 पर है। यह नीति 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए वर्तमान समय के अनुसार विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है ,जिसमें शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्य एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल **(SDG 4)** भी शामिल है।*

प्रस्तावना --:

शिक्षा एक शाश्वत मूल्य के रूप में व्यक्ति, परिवार ,समाज एवं राष्ट्र की उन्नति का आधार है। उन्नति से मेरा आशय केवल आर्थिक उन्नति से नहीं अपितु सामाजिक – राजनीतिक - बौद्धिक एवं चारित्रिक उन्नति से भी है ,अर्थात शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का माध्यम है।

प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने एवं सांसारिक जीवन के लिए छात्रों को तैयार करना (सिर्फ ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना) भारतीय शिक्षा की विशेषता रही है।

समाज की रचना मनुष्य ने की है और समाज का आधार मानव क्रिया है ,ये अन्त: क्रिया सदैव चलती रहेगी और शिक्षा इसी अन्त: क्रिया के अन्तर्गत होती है इसीलिये शिक्षा व्यवस्था जहां समाज से प्रभावित होती है वहीं समाज को परिवर्तित भी करती है जैसे कि स्वतंत्रता के पश्चात् सबके लिये शिक्षा एवं समानता के लिये शिक्षा हमारे मुख्य लक्ष्य रहे हैं इससे शिक्षा का प्रचार-प्रसार हुआ और समाज का पुराना ढांचा परिवर्तन होने लगा। आध्यात्मिक मूल्यों के स्थान पर भौतिक मूल्य अधिक लोकप्रिय हुआ। सादा जीवन उच्च विचार से अब हर वर्ग अपनी इच्छाओं के अनुरूप जीना चाहता है। शिक्षा ने जातिगत व लैंगिक असमानता को काफी हद तक दूर करने का प्रयास किया और ग्रामीण समाज अब शहरी समाजों में बदलने लगे और सामूहिक परिवारों का चलन कम हो रहा है। शिक्षा के द्वारा सामाजिक परिवर्तन और इसके द्वारा शिक्षा पर प्रभाव दोनों ही तथ्य पूर्णतः अपने स्थान पर स्पष्ट है।

शिक्षा का नया प्रारूप समाज के स्वरूप् को बदल देती है क्योंकि शिक्षा ही समाज में परिवर्तन का साधन है। समाज प्राचीनकाल से आज तक निरन्तर विकसित एवं परिवर्तित होता चला आ रहा है क्योंकि जैसे-जैसे शिक्षा का प्रचार-प्रसार होता गया इसने समाज में व्यक्तियों के प्रस्थिति, दृष्टिकोण, रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाजों पर असर डाला और इससे सम्पूर्ण समाज का स्वरूप बदलता है।

आजादी के उपरांत गठित शिक्षा आयोगों का उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित - समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान कर सकें।

आजादी के पश्चात प्रमुख शिक्षा आयोग एवं शिक्षा समितियां बनी जिनका भारतीय शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा

इस रिसर्च पेपर के माध्यम से मैं आज़ादी से अब तक गठित शिक्षा समिति एवं आयोगों मुख्यतया नयी शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकता, प्रासंगिकता एवं प्रमुख सिफारिशों पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा

मुख्य पृष्ठ --: 1948 में राधाकृष्णन आयोग जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना गया, आजादी के बाद भारत का पहला आयोग था जिसका मुख्य कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को नेतृत्वकर्ता प्रदान करना था, एवं समाज में जागरूकता लाने के लिए सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता को तैयार करना था। आयोग का लक्ष्य ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित करना था जो छात्रों के व्यक्तित्व के समावेशी विकास के लिए ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्रदान करेंगे। इस आयोग ने उच्च शिक्षा व्यवस्था पर सिफारिश दी। इसके पश्चात शिक्षा के सभी प्रारूप में बदलाव की जरूरत महसूस की गई, और इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए अनेक शिक्षा आयोग एवं समितियां बनीं जो कि इस प्रकार हैं ----

1) **1952-53 – मुदालियर आयोग** जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना गया। आयोग ने भारतीयों को लोकतांत्रिक जीवन शैली में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया और मूल्यांकन के लिए एम.सी.क्यू .परीक्षण पद्धति पर बल दिया।
2) **1956 – यूजीसी** अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठन हुआ। यूजीसी का मुख्य कार्य विश्वविद्यालय को मान्यता देना एवं अनुदान राशि प्रदान करना निश्चित किया गया।
3) **1961 – NCERT** अर्थात राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान को केंद्र द्वारा स्थापित किया गया। अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए यह भारत का अग्रणी संस्थान है।
4) **1964-66 – कोठारी आयोग** का गठन किया। इस आयोग की रिपोर्ट एवं संस्तुति से शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति पर एक प्रस्ताव सामने आया।
5) **1968 – प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग** का गठन किया गया। इसके मुख्य बिन्दुओं में राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विकास को प्राप्त करने के लिए समान शैक्षिक अवसरों को प्रदान करना, "**त्रिभाषा सूत्र**" को लागू करना शामिल था।

आयोग ने शिक्षा के सार्वभौमिकता की बात की और --

लर्निंग टू लर्न

लर्निंग टू डू

लर्निंग टू बी

लर्निंग टू लिव टुगेदर,

पर बल दिया।

6) **1976 – 42 में संविधान संशोधन** से शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया।
7) **1986 - NEP-1986** अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस नीति में असमानताओं को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया गया विशेष रूप से महिलाओं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए शैक्षिक अवसरों को

समान करने का आह्वान किया गया, इसके साथ दूरस्थ शिक्षा और कंप्यूटर शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया। बाल केंद्रित दृष्टिकोण पर विशेष ध्यान देते हुए पूरे देश में "**ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड**" लॉन्च किया गया।

- शिक्षक प्रशिक्षण हेतु **DIET की स्थापना** की गई, **NIOS अर्थात** 9th से 12th तक ओपन स्कूल का प्रारूप बनाया गया जो आज भी प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। इस नीति ने **IGNOU अर्थात** इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार किया।
- महात्मा गाँधी जी के दर्शन पर आधारित **ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल** का निर्माण किया गया जिस पर आधारित **नवोदय विद्यालय** गांव में खोले गए।
- विकलांगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने का भी प्रावधान किया गया। जो कि **Person With Disability Act के मानकों** के अनुरूप होगा।

8) **1990 – आचार्य राममूर्ति समिति** का गठन किया गया। इस समिति ने **SUPW** पर ध्यान देने की बात कही।

9) **1992 – प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन 1986** के आयोग के आकलन हेतु गठित हुआ। समिति ने शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाना ,**पढ़ाई का बोझ घटना, एन.सी.सी. (NCC) और एन.एस.एस. (NSS)** में भागीदारी पर जोर देना आदि सुझाव दिए। **अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए NCTE (1993)** के गठन का प्रारूप तैयार किया गया।

10) **1995 – 15 अगस्त 1995 को मध्यान भोजन योजना (MDM)** का आरंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करने में मदद करना है। Sept 2004 से पका भोजन दिया जाने लगा।

11) **2001 – सर्व शिक्षा अभियान** शुरू किया गया। भारत सरकार ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया।

12) **86वें संविधान संशोधन** से-

- **अनुच्छेद 21** को जोड़ा गया जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का मौलिक अधिकार देता है।
- संविधान के भाग चार में **अनुच्छेद 45** की विषय वस्तु को बदल दिया गया और कहा गया कि राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।
- **अनुच्छेद 51-ए** के तहत मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया जिसमें कहा गया प्रत्येक भारतीय माता-पिता / अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

14) **2005 – राष्ट्रीय ज्ञान आयोग** बना ज्ञान आधारित समाज की संकल्पना व प्राथमिक स्तर से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को अनिवार्य करने की सिफारिश की गई।

15) **2005 – NCF** बना अर्थात प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में **राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा** तैयार की गई। इस समिति के द्वारा "लर्निंग बाय डूइंग" पर बल दिया गया एवं करिकुलम फॉर्मेशन के पांच सिद्धांतों को एन.सी.ई.आर.टी. ने परिभाषित किया। NCF

के पांच भाग तय किए गए हैं शारीरिक विकास, भावनात्मक और मानसिक विकास, जीवन ऊर्जा का विकास, बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास।

16) **2009 -RTE अर्थात** शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया।

17) **2012** – अध्यापकों की स्थिति में व्यापक सुधार हेतु **जस्टिस वर्मा समिति** बनी।

18) **2020 – NEP 2020** आया।

नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत के युवाओं को समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। वर्ष 2015 में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक शिक्षा विकास (United Nations global education development for Sustainable Development (SDG4) goal 4 एजेंडा को अपनाया है। जिसके तहत भारत समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा को 2030 तक पूर्ण रूप से लागू करना चाह रहा है।

भारत के SDG4 ग्लोबल एजेंडा में विश्व स्तरीय ओर उच्च गुणवत्ता शिक्षा सभी को देने का लक्ष्य है। इसके साथ-साथ सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है। इन सभी महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए **भारतीय शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित (re-structure) और पुन: कॉन्फ़िगर (re-configure)** करना अनिवार्य है।

नयी शिक्षा नीति भारत के सभी छात्रों को विश्व स्तरीय, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, देने के लक्ष्य से बनायी गयी है। इस नीति से छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं (cognitive capacities), समस्या-समाधान दृष्टिकोण (Problem Solving attitude), को उजागर करने का प्रयास है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल सभी प्रमुख बदलावों की सूची नीचे दी गई है।

- पाठ्येतर और पाठ्यचर्या विषयों और शैक्षणिक, व्यावसायिक, या कलात्मक विषयों के बीच बहुत अंतर नहीं होगा।
- मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का महत्व बढ़ाया जाएगा।
- छात्रों को राज्य की आधिकारिक भाषा में अध्ययन करना की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
- छात्रों को दो बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- देश के सकल घरेलू उत्पाद के 1.7% के बजाय, **सरकार शिक्षा के लिए 6%** आवंटित करेगी।
- **लिंग समावेशन कोष (Gender Inclusion fund)** की पूर्ण रुप से स्थापना की जाएगी।
- सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेगी कि प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले।

- NEP 2020 ने 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह ले ली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पूर्व के 10+2 शिक्षा पैटर्न को नए 5+3+3+4 पैटर्न से बदल दिया जाएगा। जिसके अनुसार छात्र की शिक्षा 4 अलग-अलग चरणों में पूरी की जाएगी।
- अंडरग्रेजुएट कोर्स चार साल चलेगा।
- शिक्षक के पद के लिए आवेदकों को 4 साल का एकीकृत बी.एड कोर्स पूरा करना होगा।
- HEIs में प्रवेश के लिए एक नया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लागू किया जाएगा।
- **मास्टर ऑफ फिलॉसफी (M.Phil.)** के पाठ्यक्रम को अब शिक्षा नीति का हिस्सा नहीं माना जाएगा।
- शास्त्रीय भाषाओं व साहित्य से संबंधित पाठ्यक्रमों को सरकार द्वारा स्कूलों में संचालित किया जाएगा।
- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक-निर्धारक निकाय के रूप में **'परख' (PARAKH)** नामक एक नए **'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' (National Assessment Centre)** की स्थापना की जाएगी।
- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिये **'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence- AI)** आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग होगा।
- शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय-समय पर किये गए कार्य-प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति दी जाएगी।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक 'शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' **(National Professional Standards for Teachers- NPST)** का विकास किया जाएगा।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा **NCERT** के परामर्श के आधार पर 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' **[National Curriculum Framework for Teacher Education-NCFTE)** का विकास किया जाएगा।
- वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिये न्यूनतम डिग्री योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।

नयी शिक्षा नीति 2020 एवं स्कूली शिक्षा ---:

- अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाना है।
- शिक्षकों, और वयस्क शिक्षा के लिए स्कूलों में नयी National Curriculum framework पेश की जाएगी।
- **कक्षा 5 तक** के छात्रों के लिए **शिक्षा का माध्यम मातृभाषा** होगा।
- सिर्फ रट्टा सीखने के बजाय मुख्य ध्यान बच्चे के कौशल और क्षमताओं पर होगा।
- शिक्षा मंत्रालय की **दीक्षा पोर्टल पर फाउंडेशन स्टेज** (3 से 8 वर्ष) के छात्रों के लिए **"जादुई पिटारा " विकसित किया गया है जो कि एक खेल आधारित शिक्षण अधिगम सामाग्री है।**

पाठ्यक्रम की संरचना में बड़े बदलाव

- आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के बीच कोई बड़ा अलगाव नहीं है।
- बोर्ड परीक्षाएं ज्ञान के अनुप्रयोग पर आधारित होंगी
- 5 + 3 + 3 + 4 पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना का पालन किया जाना है।
- कक्षा 6 के बाद से पाठ्यक्रम और व्यावसायिक एकीकरण में कमी की गयी है।
- **2025 तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (3-6 वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना**।
- 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER (Gross Enrollment Ratio) के साथ प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना लक्षित है।
- कक्षा 6 से कोडिंग और व्यावसायिक अध्ययन के साथ एक नया स्कूल पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा।
- कक्षा 5 तक शिक्षा के माध्यम के रूप में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग किया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा है कि वे इस सीमा को 8वीं कक्षा तक भी बढ़ा सकते हैं। अपनी मातृभाषा के माध्यम से बच्चे बेहतर और आसानी से समझ पाएंगे।
- एक नया पाठ्यचर्या ढांचा पेश किया जाना है, जिसमें प्री-स्कूल और आंगनवाड़ी वर्ष शामिल हैं।
- 2025 तक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन कक्षा 3 के स्तर पर बुनियादी कौशल सुनिश्चित करेगा।

नयी शिक्षा नीति 2020 एवं उच्च शिक्षा ---:

NEP 2023 का प्रभाव यूजी और उच्च शिक्षा का अध्ययन करने वाले छात्रों पर भी पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 के अंतर्गत यूजी-पीजी के छात्र-छात्राओं के लिए निम्न बिंदु शामिल किए गए हैं।

- UG प्रोग्राम में एकाधिक बार प्रवेश/निकास। उदाहरण के लिए, व्यावसायिक और व्यावसायिक क्षेत्रों सहित एक अनुशासन में 1 वर्ष पूरा करने के बाद एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, 2 साल के अध्ययन के बाद एक डिप्लोमा और 3 साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी।
- स्नातक की डिग्री चार साल की रहेगी जैसा कि 2020 की नीति में निर्धारित किया गया था।
- छात्रों के पास डिग्री प्रोग्राम छोड़ने के लिए चुनने के कई अवसर होंगे।
- यदि छात्र 4-वर्षीय प्रोग्राम में एक बड़ा अनुसंधान परियोजना पूरी करता है, तो उसे 'रिसर्च' की डिग्री दी जाएगी।
- **एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC)** जो एक छात्र द्वारा अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत करेगा।
- Research / Teaching Intensive विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी।
- भारत के परिसर में विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

- हर शैक्षणिक संस्थान में, छात्रों के टेंशन और इमोशन को संभालने के लिए परामर्श प्रणाली होगी।
- एम.फिल की डिग्री समाप्त कर दी जाएगी।
- चिकित्सा, कानूनी पाठ्यक्रमों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षा के लिए नया **अम्ब्रेला नियामक**।
- संस्थानों के बीच हस्तांतरण को आसान बनाने के लिए एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी।
- कॉलेज संबद्धता प्रणाली को 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा, ताकि प्रत्येक कॉलेज या तो एक स्वायत्त डिग्री देने वाली संस्था या किसी विश्वविद्यालय के एक घटक कॉलेज के रूप में विकसित हो सके।
- **UGC (University Grant Commission) अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को HECI (Higher Education Commission of India) भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के नाम से जाना जायेगा,** और यूजीसी की वेबसाइट अब उत्साह (अंडरटेंकिंग ट्रांसफॉरमेटिव स्ट्रेटेजी एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन) पोर्टल के नाम से जानी जाएगी। इस पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के तहत योजनाओं की जानकारी, लागू करने से लेकर उसको ट्रैक किया जा सकेगा।

HECI के कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु चार निकाय की स्थापना की जाएगी--:

- **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (National Higher Education Regulatroy Council-NHERC) :** यह शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक नियामक का कार्य करेगा।
- **सामान्य शिक्षा परिषद (General Education Council – GEC) :** यह उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिये अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढाँचा तैयार करेगा अर्थात् उनके मानक निर्धारण का कार्य करेगा।
- **राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (National Accreditation Council – NAC) :** यह संस्थानों के प्रत्यायन का कार्य करेगा जो मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित होगा।
- **उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (Higher Education Grants Council – HGFC) :** यह निकाय कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिये वित्तपोषण का कार्य करेगा।

डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रावधान --: एक स्वायत्त निकाय के रूप में **''राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच'' (National Educational Technology Forum)** का गठन किया जाएगा जिसके द्वारा शिक्षण, मूल्यांकन योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान-प्रदान किया जा सकेगा। डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिये अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा जो डिजिटल बुनियादी ढाँचे, सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु समन्वयन का कार्य करेगी।

पारंपरिक ज्ञान-संबंधी प्रावधान --: भारतीय ज्ञान प्रणालियाँ, जिनमें जनजातीय एवं स्वदेशी ज्ञान शामिल होंगे, को पाठ्यक्रम में सटीक एवं वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा।

निष्कर्ष एवं सुझाव --: 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिये भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को मंज़ूरी दी गई है अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी।

- नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के अंतर्गत रखा गया है।
- 34 वर्षों पश्चात् आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (3-6 वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना है।
- स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, थ्री-डी मशीन, डेटा-विश्लेषण, जैवप्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी।
- इस नई नीति में विकलांग बच्चों के लिये क्रास विकलांगता प्रशिक्षण, संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, उपर्युक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन एवं प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आदि प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया जाएगा , जोकि सही अर्थों में शिक्षा की सार्वभौमिकता को परिलक्षित करता है।
- सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि विभिन्न समितियां द्वारा सुझाए गए शिक्षा पर जीडीपी का 6% व्यय करने का सुझाव प्रभावी ढंग से लागू हो सके जिससे शिक्षा में अनुसंधान,तकनीकी, नवाचार आदि को बढ़ावा मिल सकेगा, नई तकनीकी का प्रयोग करके प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा की पहुंच को बढ़ाया जा सकेगा एवं शिक्षा आधुनिकता के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकेगी

उपसंहार --:

एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी,लोकतंत्रात्मक, गणराज्य होने के कारण भारत प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय समानता के अवसर चाहे वह शिक्षा में हो,रोजगार में हो, व्यवसाय में हो आदि प्रदान करने की स्वतंत्रता देता है। एवं भाषा,क्षेत्र,जाति,लिंग आदि के विभेद को न मानते हुए सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की बात करता है। नई शिक्षा नीति ने इस मामले में भारत के संविधान के प्रस्तावना के अनुरूप भारतीयों के लिए,भारतीयों के द्वारा एवं भारत का शिक्षा आयोग बनाने का प्रयास किया है जो कि बीते हुए कल के गौरवशाली इतिहास को उजागर करते हुए 21वीं सदी के आकांक्षाओं को पूरा करने मैं सक्षम है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये नई शिक्षा प्रणाली 2020 पूर्णतया सक्षम है। भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिये शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाते अपनाते हुए नई शिक्षा नीति 2020 बेहतर कल एवं बेहतर भारत बनाने में उपयोगी साबित होगी जिससे भारत दोबारा विश्व गुरु की पदवी पर काबिज हो सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची --:

1) शिक्षा मंत्रालय का आधिकारिक वेबसाइट – Mhrd.gov.in
2) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आधिकारिक ग्रंथ

   https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf
3) भारतीय शिक्षा के इतिहास विकास एवं समस्याएं _एसपी गुप्ता
4) भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्याएं_ डॉ कर्ण सिंह

THE RESEARCH DIALOGUE
Manifestation Of Perfection

THE RESEARCH DIALOGUE

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed /Refereed National Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-2, Issue-3, October-2023
www.theresearchdialogue.com
Certificate Number October-2023/19
Impact Factor (IIJIF-1.561)
https://doi-ds.org/doilink/01.2023-11922556

Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

अमित कुमार शुक्ला

for publication of research paper title

"शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में नई शिक्षा नीति 2020 का योगदान"

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-02, Issue-03, Month October, Year-2023.

Dr. Neeraj Yadav
Executive Chief Editor

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor-in-chief

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at www.theresearchdialogue.com

INDEXED BY